राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील डिक्री/टी.ए./2002/4485/जिला जयपुर

जय श्रीकृष्ण पुत्र गोविन्दनारायण (मृतक) जरिये कायम मुकाम :-
1- भारत भुषण)
2- हर्ष नारायण) पिसरान जय श्रीकृष्ण
3- कृष्णकान्त)
4- पुष्पलता पुत्री जय श्रीकृष्ण
5- ममता शर्मा पत्नी राधा रमन शर्मा
6- देववृत्त पुत्र राधा रमन शर्मा) तीनों नाबालिगान जरिये
7- कुमारी महिमा पुत्री राधा रमन शर्मा) कुदरती माता ममता शर्मा
8- विनय शर्मा पुत्र राधा रमन शर्मा) पत्नी राधा रमन शर्मा
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मालपुरा डूंगर
तहसील व जिला जयपुर।

.....**अपीलान्टस**

बनाम

1- राजेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह राजपूत निवासी ग्राम मालपुरा डूंगर तहसील व जिला जयपुर।
2- सीताराम पुत्र भौरीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम :-
2/1- सावित्री देवी पत्नि सीताराम
2/2- पारस कुमार पुत्र सीताराम
2/3- राजकुमारी)
2/4- सुशीला)
2/5- आशा) पुत्रियां सीताराम
2/6- रेखा)
2/7- विजयलक्ष्मी)
समस्त जाति ब्राहमण निवासी खोजो का मंदिर रामगंज बाजार जयपुर।
3- अतुल शंकर) पिसरान ब्रजकुमार श्रीवास्तव निवासी प्लाट
4- आलोक कंवर) नं. डी-195, जगदीश मार्ग बनीपार्क, जयपुर।
5- मनफेली बेवा बृजमोहन
6- सत्यनारायण पुत्र गोविन्दनारायण दत्तक पुत्र लादूनारायण
समस्त निवासी खोजो का मंदिर रामगंज बाग जयपुर।

7– इमरती बाई (मृतक) जरिये कायम मुकाम :–
7/1– भास्कर शर्मा)
7/2– जयन्त शर्मा) पिसरान राधेश्याम शर्मा निवासी
7/3– जय शर्मा) मालवीय नगर होटल आमेर के
7/4– संतोष शर्मा) सामने सेक्टर नम्बर–8 अमृत विधा
7/5– सुधा शर्मा) निकुंज जयपुर।
7/6– ईला शर्मा)
8– राजस्थान सरकार।

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

(2) अपील डिक्री/टी.ए./2002/4486/जिला जयपुर

जय श्रीकृष्ण पुत्र गोविन्दनारायण (मृतक) जरिये कायम मुकाम :–
1– भारत भुषण)
2– हर्ष नारायण) पिसरान जय श्रीकृष्ण
3– कृष्णकान्त)
4– पुष्पलता पुत्री जय श्रीकृष्ण
5– ममता शर्मा पत्नी राधा रमन शर्मा
6– देववृत्त पुत्र राधा रमन शर्मा) तीनों नाबालिगान जरिये
7– कुमारी महिमा पुत्री राधा रमन शर्मा) कुदरती माता ममता शर्मा
8– विनय शर्मा पुत्र राधा रमन शर्मा) पत्नी राधा रमन शर्मा
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मालपुरा डूंगर
तहसील व जिला जयपुर।

.....**अपीलान्टस**

बनाम

1– राजेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह राजपूत निवासी ग्राम मालपुरा डूंगर तहसील व जिला जयपुर।
2– सीताराम पुत्र भौरीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम :–
2/1– सावित्री देवी पत्नि सीताराम
2/2– पारस कुमार पुत्र सीताराम

2/3– राजकुमारी)
2/4– सुशीला)
2/5– आशा) पुत्रियां सीताराम
2/6– रेखा)
2/7– विजयलक्ष्मी)
समस्त जाति ब्राहमण निवासी खोजो का मंदिर रामगंज बाजार जयपुर।

3– अतुल शंकर) पिसरान ब्रजकुमार श्रीवास्तव निवासी प्लाट
4– आलोक कंवर) नं. डी–195, जगदीश मार्ग बनीपार्क, जयपुर।
5– मनफेली बेवा बृजमोहन
6– सत्यनारायण पुत्र गोविन्दनारायण दत्तक पुत्र लादूनारायण समस्त निवासी खोजो का मंदिर रामगंज बाग जयपुर।
7– इमरती बाई (मृतक) जरिये कायम मुकाम :–
7/1– भास्कर शर्मा)
7/2– जयन्त शर्मा) पिसरान राधेश्याम शर्मा निवासी
7/3– जय शर्मा) मालवीय नगर होटल आमेर के
7/4– संतोष शर्मा) सामने सेक्टर नम्बर–8 अमृत विधा
7/5– सुधा शर्मा) निकुंज जयपुर।
7/6– ईला शर्मा)
8– राजस्थान सरकार।

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

(3) अपील डिक्री/टी.ए./2002/4487/जिला जयपुर

जय श्रीकृष्ण पुत्र गोविन्दनारायण (मृतक) जरिये कायम मुकाम :–
1– भारत भुषण)
2– हर्ष नारायण) पिसरान जय श्रीकृष्ण
3– कृष्णकान्त)
4– पुष्पलता पुत्री जय श्रीकृष्ण
5– ममता शर्मा पत्नी राधा रमन शर्मा
6– देववृत्त पुत्र राधा रमन शर्मा) तीनों नाबालिगान जरिये

7– कुमारी महिमा पुत्री राधा रमन शर्मा) कुदरती माता ममता शर्मा
8– विनय शर्मा पुत्र राधा रमन शर्मा) पत्नी राधा रमन शर्मा
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मालपुरा डूंगर
तहसील व जिला जयपुर।

.....**अपीलान्ट्स**

बनाम

1– राजेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह राजपूत निवासी ग्राम मालपुरा डूंगर तहसील व जिला जयपुर।
2– सीताराम पुत्र भौरीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम :–
2/1– सावित्री देवी पत्नि सीताराम
2/2– पारस कुमार पुत्र सीताराम
2/3– राजकुमारी)
2/4– सुशीला)
2/5– आशा) पुत्रियां सीताराम
2/6– रेखा)
2/7– विजयलक्ष्मी)
समस्त जाति ब्राहमण निवासी खोजो का मंदिर रामगंज बाजार जयपुर।
3– अतुल शंकर) पिसरान ब्रजकुमार श्रीवास्तव निवासी प्लाट
4– आलोक कंवर) नं. डी–195, जगदीश मार्ग बनीपार्क, जयपुर।
5– मनफेली बेवा बृजमोहन
6– सत्यनारायण पुत्र गोविन्दनारायण दत्तक पुत्र लादूनारायण
समस्त निवासी खोजो का मंदिर रामगंज बाग जयपुर।
7– इमरती बाई (मृतक) जरिये कायम मुकाम :–
7/1– भास्कर शर्मा)
7/2– जयन्त शर्मा) पिसरान राधेश्याम शर्मा निवासी
7/3– जय शर्मा) मालवीय नगर होटल आमेर के
7/4– संतोष शर्मा) सामने सेक्टर नम्बर–8 अमृत विधा
7/5– सुधा शर्मा) निकुंज जयपुर।
7/6– ईला शर्मा)
8– राजस्थान सरकार।

.....**रेस्पोन्डेन्ट्स**

(4) अपील डिक्री/टी.ए./2002/4488/जिला जयपुर

जय श्रीकृष्ण पुत्र गोविन्दनारायण (मृतक) जरिये कायम मुकाम :-
1- भारत भुषण)
2- हर्ष नारायण) पिसरान जय श्रीकृष्ण
3- कृष्णकान्त)
4- पुष्पलता पुत्री जय श्रीकृष्ण
5- ममता शर्मा पत्नी राधा रमन शर्मा
6- देववृत्त पुत्र राधा रमन शर्मा) तीनों नाबालिगान जरिये
7- कुमारी महिमा पुत्री राधा रमन शर्मा) कुदरती माता ममता शर्मा
8- विनय शर्मा पुत्र राधा रमन शर्मा) पत्नी राधा रमन शर्मा
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मालपुरा डूंगर
तहसील व जिला जयपुर।

.....**अपीलान्ट्स**

बनाम

1- राजेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह राजपूत निवासी ग्राम मालपुरा डूंगर तहसील व जिला जयपुर।
2- सीताराम पुत्र भौरीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम :-
2/1- सावित्री देवी पत्नि सीताराम
2/2- पारस कुमार पुत्र सीताराम
2/3- राजकुमारी)
2/4- सुशीला)
2/5- आशा) पुत्रियां सीताराम
2/6- रेखा)
2/7- विजयलक्ष्मी)
समस्त जाति ब्राहमण निवासी खोजो का मंदिर रामगंज बाजार जयपुर।
3- अतुल शंकर) पिसरान ब्रजकुमार श्रीवास्तव निवासी प्लाट
4- आलोक कंवर) नं. डी-195, जगदीश मार्ग बनीपार्क, जयपुर।
5- मनफेली बेवा बृजमोहन
6- सत्यनारायण पुत्र गोविन्दनारायण दत्तक पुत्र लादूनारायण

समस्त निवासी खोजो का मंदिर रामगंज बाग जयपुर।

7– इमरती बाई (मृतक) जरिये कायम मुकाम :–
7/1– भास्कर शर्मा)
7/2– जयन्त शर्मा) पिसरान राधेश्याम शर्मा निवासी
7/3– जय शर्मा) मालवीय नगर होटल आमेर के
7/4– संतोष शर्मा) सामने सेक्टर नम्बर–8 अमृत विधा
7/5– सुधा शर्मा) निकुंज जयपुर।
7/6– ईला शर्मा)
8– राजस्थान सरकार।

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

खण्ड–पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री आत्माराम शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री अजीत सिंह)
श्री प्रदीप विश्नोई) अभिभाषक रेस्पोन्डेन्डस
श्री शिवसिंह)
श्री वी.एस. राठौड़)

दिनांक : 20–11–2019

निर्णय

1– यह चारों अपीलें अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। इन चारों अपीलों के तथ्य एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने के कारण इनकी बहस एक साथ सुनी गयी तथा इनका निस्तारण भी एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह ने एक वाद संख्या–78/97 सीताराम पुत्र भौरीलाल, जय श्रीकृष्ण पुत्र गोविन्द नारायण, अतुल शंकर, आलोक शंकर पुत्र ब्रजकुमार एवं सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) में विभाजन हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मालपुरा डूंगर तहसील जयपुर स्थित आराजी रकबा 50 बीघा 10 बिस्वा जिसका खाता संख्या–14 एवं खसरा नम्बर–75 व 33 है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 4 सहखातेदार हैं। उक्त भूमि में से 17 बीघा 14 बिस्वा पर वादी का, 1/3 हिस्सा सीताराम का व 1/3 हिस्सा जय श्रीकृष्ण, अतुल शंकर व आलोक शंकर का है। रिकार्डेड खातेदार श्रीमती गैंदी देवी का देहान्त हो चुका है। जय श्रीकृष्ण उसका वारिस है। भूमि का पूर्व में मनबट के आधार पर विभाजन हो चुका है। खसरा नम्बर–33 के पूर्वी दिशा के 7 बीघा भूमि पर जो कि खसरा नम्बर–46 से लगती है, पर कब्जा वादी राजेन्द्र सिंह का है। शेष भूमि पर अतुल शंकर, आलोक शंकर, जय श्रीकृष्ण एवं सीताराम का कब्जा है। उक्त भूमि का रिकार्ड में विभाजन कराया जाना आवश्यक है।

3– प्रतिवादी संख्या–1 सीताराम ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि कुल भूमि 50 बीघा 10 बिस्वा होना स्वीकार है लेकिन इस पर वादी व प्रतिवादी संख्या–3 लगायत 5 का सह खातेदार होना गलत है। जय श्रीकृष्ण का अकेले का 1/3 हिस्सा होना गलत है, 1/3 हिस्से में गैंदी देवी पत्नी गोविन्द नारायण खातेदार थी। उसकी मृत्यु हो चुकी है जिसका एक पुत्र जय श्रीकृष्ण प्रतिवादी संख्या–2 है तथा शेष वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह भी अंकित नहीं किया गया है कि गैंदी देवी के जय श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नहीं है।

वाद में मनबट के आधार पर बंटवारा होना अंकित किया है जबकि मनबट के आधार पर पूर्व में कोई बंटवारा नही हुआ है। सम्पूर्ण भूमि पर सभी सह खातेदार का कब्जा है। किसी भी सह खातेदार को भूमि के विशिष्ट भाग को बेचने का अधिकार हासिल नहीं है।

4– प्रतिवादी संख्या–3 व 4 अतुल शंकर व आलोक शंकर ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि खसरा नम्बर–33 की 2.5 बीघा भूमि आलोक शंकर व 2.5 बीघा भूमि अतुल शंकर ने जरिये पंजीकृत बयनामा प्रतिवादी संख्या–2 जय श्रीकृष्ण से क्रय की है जिसका नामान्तरकरण संख्या–41 व 42 दिनांक 16–10–1995 को तसदीक हो चुका है। प्रतिवादी संख्या–2 जय श्रीकृष्ण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि सम्पूर्ण भूमि पर उसका ही कब्जा है। वादी का कब्जा ना पहले था और ना अब है। विवादित भूमि मंदिर माफी की भूमि है जिसे खरीदने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई बेचाननामा तसदीक हो भी गया है तो वह **''प्रारम्भतः शून्य प्रभावी''** है। माननीय राजस्व मण्डल में इस संबंध में निर्णय दिनांक 6–9–1989 को हो चुका है तथा प्रतिवादी सीताराम ने भी अपने बयान दिनांक 28–7–1964 में कहा है कि भूमि मंदिर माफी की है। दिनांक 5–10–1995 को प्रतिवादी अतुल शंकर व आलोक शंकर ने एक सहमति पत्र लिखा था जिसमें अंकन किया गया था कि अगर भूमि मंदिर की होगी तो वे अपना दावा छोड़ देंगे। प्रतिवादी संख्या–3 व 4 अपने इस वचन से पाबन्द हैं।

5– दावा व जवाबदावा के आधार पर 5 तनकीयात कायम की गई। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) ने श्रीमती गैंदी देवी के अन्य वारिसान सत्यनारायण,

श्रीमती मनफूल देवी व श्रीमती इमरती देवी को पक्षकार बना लिया गया किन्तु सहवन से निर्णय दिनांक 6–11–2000 में इन्हें प्रतिवादी के रूप में लिखना शेष रह गया। विचारण न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 6–11–2000 द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु आदेश पारित कर दिये।

6– इसी प्रकार एक अन्य वाद संख्या–77/97 राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमानसिंह ने प्रतिवादी सीताराम, जय श्रीकृष्ण तथा सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) में विभाजन हेतु प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर–30 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर–32 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर–45 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर–46 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा तथा खसरा नम्बर–110 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा व चाह खसरा नम्बर–31 रकबा 4 बिस्वा किता 6 रकबा 45 बीघा 15 बिस्वा ग्राम मालपुरा डूंगर तहसील जयपुर में स्थित है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 प्रत्येक 1/3 हिस्से के सह खातेदार हैं। मनबट के आधार पर भूमि का विभाजन पूर्व में हो चुका है जिसके आधार पर सभी सह खातेदार काबिज हैं। खसरा नम्बर–46 के पश्चित दिशा की ओर 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर जो खसरा नम्बर–33 से लगती है, पर वादी राजेन्द्र सिंह का कब्जा है व शेष पर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का कब्जा है। अब शामिल काश्त करना संभव नहीं है इसलिये खाता विभाजन कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रकरण के शेष तथ्य प्रकरण संख्या–78/97 जैसे ही हैं। इस प्रकरण में भी 5 तनकीयात कायम की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) ने अपने निर्णय दिनांक 6–11–2000 द्वारा दावा प्राथमिक डिक्री कर

दिया और 45 बीघा 15 बिस्वा पर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार, जयपुर को आदेश पारित कर दिये।

7- उक्त दोनों प्रकरण संख्या-77/97 व 78/97 में अंतिम डिक्री दिनांक 2-6-2001 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई। प्रकरण संख्या-77/97 में पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या-82/2001 तथा अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या-239/2001 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 24-5-2002 को निरस्त कर दी गई। अपील संख्या-239/2001 में पारित निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील संख्या-4486/2002 प्रस्तुत की गयी है और अपील संख्या 82/2001 के विरूद्ध द्वितीय अपील संख्या-4487/2002 प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार प्रकरण संख्या-78/97 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 6-11-2000 के विरूद्ध अपील संख्या-81/2001 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष पेश की गई जिसमें निर्णय दिनांक 24-5-2002 से व्यथित होकर द्वितीय अपील संख्या-4485/2002 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण संख्या-78/97 में पारित अंतिम डिक्री दिनांक 2-6-2001 के विरूद्ध अपील संख्या 32/2002 राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में पेश की गई जिसके निर्णय दिनांक 24-5-2002 के विरूद्ध द्वितीय अपील संख्या-4488/2002 प्रस्तुत की गई है।

8- बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

9- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण की बहस है कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 24-5-2002 न्याय, नियम व विधि के सिद्धान्तों के

विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), जयपुर ने अपने निर्णय में मनफूली, सत्यनारायण व इमरती को पक्षकार के रूप में प्रदर्शित नहीं किया है जिस कारण से अपीलार्थी द्वारा सहवन से इनका नाम अपील में अंकित होने से रह गया जो एक सद्भाविक भूल थी जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने गौर नहीं कर अपील निरस्त करने में विधिक भूल की है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने चारों अपीलें तकनीकी कारणों के आधार पर खारिज की हैं, जबकि प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिये था। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने प्रार्थना पत्र आदेश–41 नियम–20 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर मानकर कानूनी भूल की है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त ए.आई.आर.–1987 पेज–1353 के अनुसार मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाना चाहिये। लेकिन न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने ऐसा नहीं कर कानूनी भूल की है तथा प्रकरण न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये बिना सरसरी तौर पर निर्णीत किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाये एवं प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णीत करने हेतु पुनः न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर को प्रतिप्रेषित किया जाये।

10– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत व तर्कसंगत है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मनफूली, सत्यनारायण व इमरती देवी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है क्योंकि सत्यनारायण, गोविन्द नारायण

के गोद चला गया। मनफूली की मृत्यु हो चुकी है और उसके कोई अन्य वारिस नहीं है तथा इमरती देवी, गेंदी देवी की जायन्दा पुत्री नहीं है। विधिक वारिसान को विधि द्वारा स्थापित मियाद के अन्दर ही पक्षकार बनाया जा सकता है। प्रार्थना पत्र आदेश–41 नियम–20 व धारा–151 सीपीसी मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया था जो विधिवत तरीके से खारिज किया गया था, अपीलार्थी ने अपील में इन्हें पक्षकार नहीं बनाया था जो उसकी त्रुटि थी। आदेश–41 नियम–20 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था इसी कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1– आदेश–41 नियम–20 सीपीसी पेज–1908
2– एआईआर–1971 (एस.सी) पेज–240
3– 2007 पंजाब एण्ड हरियाणा
4– डब्ल्यू.एल.एन.–2014(2) (राज.) पेज–17
5– आरआरडी–1992 पेज–608
6– आरआरडी–1973 पेज–778
7– आरआरडी–1969 पेज–192
8– आरआरडी–1982 पेज–312
9– आरआरटी–2014(1) पेज–730
10– आरआरटी–2018(2) पेज–1509

11– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत नजीरों का आदरपूर्वक परिशीलन किया गया।

12– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रार्थी संख्या–1 राजेन्द्र सिंह ने वाद संख्या–77/1997 सीताराम व जय श्रीकृष्ण के विरूद्ध विभाजन का प्रस्तुत किया था जिसमें आराजी खसरा नम्बर–30 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर–32

रकबा 6 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर–45 रकबा 13 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर–46 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा तथा आराजी खसरा नम्बर–110 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा तथा चाह खसरा नम्बर–31 रकबा 4 बिस्वा के वादी व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 प्रत्येक 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। रिकार्डेड खातेदार श्रीमती गेंदी देवी मर चुकी हैं इसलिये उसका विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या–2 को पक्षकार बनाया गया है। वादी ने वाद पत्र में कथन किया है कि मनबट के आधार पर विवादित भूमि का पूर्व में विभाजन हो चुका है और वादी आराजी खसरा नम्बर–46 में पश्चिम दिशा की ओर 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि जो खसरा नम्बर–33 से लगती हुई है, पर काबिज काश्त है।

13– प्रतिवादी संख्या–1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि की 1/3 हिस्से की खातेदार गेंदी देवी पत्नी गोविन्द नारायण थी जिसका स्वर्गवास हो गया है और उसके वारिसो को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विवादित भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है तथा वादी ने किस आधार पर विशिष्ट भू भाग पर कब्जा किया है, यह नहीं बताया गया है। मनबट के आधार पर कोई बंटवारा नहीं हुआ।

14– प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी ने स्वयं के कब्जे वाली दिशा तो बता दी लेकिन प्रतिवादीगण के कब्जे की दिशा नहीं बताई है। सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या–2 का ही कब्जा है। विवादित भूमि माफी मन्दिर की भूमि है जिसे खरीदने का किसी को कोई अधिकार नहीं है इसलिये वादी के पक्ष में विक्रय पत्र प्रारम्भतः शून्य है। मंदिर माफी

के संबंध में राजस्व मण्डल में दिनांक 6–9–1989 को निर्णय हो चुका है जिसमें भूमि मन्दिर माफी की बताई गई है।

15– दावा व जवाबदावा के आधार पर 5 तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से राजेन्द्र सिंह, रामप्रताप के बयान बराये गये तथा प्रतिवादीगण की ओर से सीताराम, राधारमण तथा नन्दकिशोर के बयान दर्ज कराये गये। दस्तावेज तथा गवाहों के बयान के आधार पर दिनांक 6–1–2000 को प्राथमिक डिक्री की गई जिसमें विवादित आराजी रकबा 45 बीघा 11 बिस्वा व चाह रकबा 4 बिस्वा पर वादी व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को सहखातेदार माना गया।

16– पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड की स्थिति के अनुसार प्रदर्श–1 जमाबन्दी संख्या–2051–54 के खाता संख्या–16 खसरा नम्बर–30, 32, 45,46 व 110 रकबा 45 बीघा 11 बिस्वा पर सीताराम पुत्र भौंरीलाल 1/3 हिस्सा, जय श्रीकृष्ण पुत्र गोविन्दनारायण, गैंदी बेवा गोविन्दनारायण हिस्सा 1/3, राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमानसिंह 1/3 हिस्सा दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2051–54 के खाता संख्या–15 के खसरा नम्बर–31 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन चाह भी तीनों खातेदारों के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर–45 रकबा 13 बिस्वा गैर मुमकिन नला दर्ज है। खसरा नम्बर–45 रकबा 13 बिस्वा गैर मुमकिन नला होने के कारण अब्दुल रहमान केस से सम्बन्धित है इसलिये इसके संबंध में विस्तृत विवेचना की आवश्यकता है जो कि विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना है।

17– प्रदर्श डी–3 नकल निर्णय अदालत उप जिलाधीश, जयपुर प्रकरण संख्या–58/1963 के अनुसार यह माना गया है कि विवादित भूमि माफी मंदिर की है जिसमें गोविन्दनारायण के नाम के साथ

साथ सीताराम व लादूनारायण का भी हिस्सा माना है। खसरा गिरदावरी संवत 2009 में खसरा नम्बर–45, 46 व 110 पर मकबूजा माफीदार अंकित है जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भूमि पूर्व में माफी मंदिर के नाम थी। उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) ने अपने निर्णय दिनांक 6–11–2000 में तनकी संख्या–2 को निर्णीत करने में त्रुटि की है जिसमें निर्णय दिया गया है कि माफी मंदिर बाबत कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि उक्त राजस्व रिकार्ड व निर्णय उप जिलाधीश, जयपुर से उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। अतः इस बिन्दु पर समस्त साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन किया जाकर निर्णय पारित किया जाना है कि विवादित भूमि मंदिर माफी की है अथवा नहीं? अतः इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक है। जो न्यायिक दृष्टान्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं वे इस प्रकरण पर पूर्णरूपेण लागू नहीं होते हैं।

18– सत्यनारायण के जरिये अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी संख्या–6 सत्यनारायण का नाम सत्यनारायण पुत्र गोविन्द नारायण दत्तक पुत्र लादू नारायण लिखा है, जो गलत है। इस बिन्दु को पूर्व में माननीय राजस्व मण्डल ने निगरानी संख्या 18/1969 जो निर्णय दिनांक 6–9–1989 द्वारा निर्णीत की जा चुकी है। सत्यनारायण को गोविन्द नारायण का वारिसान मु. गेंदी देवी व जय श्रीकृष्ण के साथ माना गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील या रिट प्रस्तुत नहीं हुई है। अतः सत्यनारायण का नाम सत्यनारायण पुत्र गोविन्द नारायण लिखा जाकर सही किया जाये। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कथन किया कि गोविन्द नारायण के तीन वारिस घोषित किये थे जिसमें दो पुत्रियां इमरती बाई व मनफूली को गोविन्द नारायण का वारिस

घोषित नहीं किया था। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 13–5–1982 के द्वारा इन दोनों पुत्रियों को वारिस नहीं माना था इसलिये इनका नाम विलोपित किया जाये। उन्होंने राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 6–9–1989 की प्रति भी प्रस्तुत की जिसमें विवादित भूमि को तीनों (गोविन्द नारायण, सीताराम व बद्रीनारायण) की भूमि माना है।

19– राजस्व मण्डल ने प्रकरण संख्या–18/1969 में अपने निर्णय दिनांक 13–5–1982 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर गोविन्द नारायण के विधिक वारिसान मु. गेंदी देवी, जय श्रीकृष्ण और सत्यनारायण को माना है।

20– बहस के समय कुछ दस्तावेज पेश किये गये। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25–1–1986 जो सत्यनारायण पिसर मुतबन्ना लादू नारायण ने तसदीक कराया है। इसमें सत्यनारायण की लादूराम का गोदपुत्र बताया गया है। प्रकरण संख्या–25/07 न्यायालय ए.सी.जे. एम. क्रम संख्या–1, जयपुर में भी सत्यनारायण को लादूनारायण का गोद पुत्र बताया है। दिनांक 13–2–2006 को लिखी गई लीजडीड में भी सत्यनारायण को गोविन्द नारायण का पुत्र तथा लादूनारायण शर्मा का गोद पुत्र बताया गया है। प्रकरण संख्या–48/2007 न्यायालय जिला न्यायाधीश, जयपुर में जवाबदावे में भी सत्यनारायण को लादूनारायण शर्मा का गोद पुत्र बताया गया है। प्रकरण संख्या–4/1974 में गेंदी देवी ने सत्यनारायण को लादूनारायण शर्मा का गोद पुत्र बताया है। किरायानामा में भी सत्यनारायण को लादूनारायण शर्मा का गोद पुत्र बताया है। इस प्रकार उक्त समस्त दस्तावेज के आधार पर यह साबित है कि सत्यनारायण, लादूराम का गोद पुत्र है। अतः उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त

किया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र में गोविन्द नारायण की दो पुत्रियां इमरती देवी व मनफूली बताया है जबकि मनफूली, गोविन्दनारायण की पुत्री नहीं थी, वह ब्रजमोहन की पत्नी थी।

21– नाजिम पुत्र लालिया तथा 6 अन्य व्यक्तियों ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर चारों अपीलों में पक्षकार बनने की प्रार्थना की है इसके अतिरिक्त एक और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 सीपीसी का प्रस्तुत किया है जिसमें कथन किया है कि आदेश–1 नियम–10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थी संख्या–3 रामलाल पुत्र लालिया का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाये। चूंकि प्रकरण द्वितीय अपील के निस्तारण के स्तर पर है और इस स्तर पर प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये जाने का निर्णय सही नहीं है। अतः हमारा विनम्र मत है कि प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु भेजा जा रहा है। अतः इन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण भी विचारण न्यायालय के स्तर पर ही किया जाना चाहिये। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का विधिवत निस्तारण करें।

22– एक प्रार्थना पत्र राम शर्मा पुत्र जय श्रीकृष्ण शर्मा ने आदेश–22 नियम–4 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया है जिसमें कथन किया है कि श्रीमती मनफूली देवी पत्नी ब्रजमोहन, अप्रार्थी संख्या–5 का स्वर्गवास दिनांक 25–7–2011 को हो चुका है एवं मनफूली ने एक वसीयतनामा प्रार्थी राम शर्मा के पक्ष में तसदीक किया है जिसके आधार पर वह उनका विधिक वारिस है। अतः उसे मनफूली का विधिक वारिस मानकर प्रकरण में पक्षकार बनाया जाये। परन्तु

प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह सिद्ध हो सके कि राम शर्मा मनफूली का वारिस है अथवा नहीं। अतः बिना साक्ष्य उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

23– उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 24–5–2002 एवं उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 6–11–2000 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 24–5–2001 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त समस्त बिन्दुओं पर विस्तृत विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष